प्रशासन गांव के संग अभियान–2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या– 891/2021. निर्णय दिनांक :– 11/11/2021

उनवान प्रार्थना पत्र :

धारासिंह पुत्र करणा बनाम तहसीलदार इगी

उपस्थिति :–

प्रार्थी तहसीलदार इगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

: : आदेश : :

प्रार्थी धारासिंह पुत्र करणा निवासी चुलाकलाँ ने प्रशासन गांवो के संग 2021 शिविर/न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम चुलाकलाँ जमाबंदी पत्रक 2077 के खाता संख्या 753 में दर्ज प्रार्थी का नाम धारासिंह पुत्र करणा के स्थान पर धारासिंह पुत्र करणा दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार इगी से करवाई। तहसीलदार इगी ने पटवार हल्का चुलाकलाँ व भू0अ0नि0 चुलाकलाँ की रिपोर्ट के तहत प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की। प्रार्थी को विधिवत सुना। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार इगी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का संदर्भ लेकर राजस्व ग्रुप –6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः– 4(अ)राज/ग्रुप–6/1 के तहत तहसीलदार इगी को वाके ग्राम चुलाकलाँ जमाबंदी पत्रक संख्या 753 में दर्ज धारासिंह पुत्र करणा के स्थान पर धारासिंह पुत्र करणा दुरूस्त करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर।

खुले इजलास, कैम्प चुलाकलाँ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner